फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या – 03/2025

उनवानः– आनन्दीलाल बनाम कजोड वगै.

पत्रावली आज दिनांक 30.05.2025 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3, 7, 11, 17, 18 उपस्थित।अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह राजावत ने वकालनतामा मूलवाद में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस टीआई पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गए है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.01.2025 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय